बिहार सरकार
उद्योग विभाग,

पत्रांक–.......................................... दिनांक –..........................................
सं0सं0–ह0क0–(14)योजना (पावरलूम)–03/2015 खण्ड

प्रेषक,
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,
महालेखाकार (ह0एवं ले0)
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*

विषय:– वित्तीय वर्ष 2016–17 में, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजना In- situ upgradation of plain powerloom scheme अन्तर्गत, प्लेन विद्युतकरघा में अतिरिक्त साजसज्जा (additional attachment) लगाकर, अर्धस्वचालित (Semi-Automatic) विद्युतकरघा में परिवर्तित करने पर प्रति विद्युतकरघा पर होने वाला व्यय का 40% अथवा 12000/– जो कम होगा, उतनी राशि राज्य सरकार के अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने हेतु 100 प्लेन विद्युतकरघा में अतिरिक्त साजसज्जा (additional attachment) लगाकर अर्धस्वचालित (Semi-Automatic) विद्युतकरघा में परिवर्तित करने हेतु रू0 10.00 लाख (दस लाख) व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार राज्यादेश सं0–259 दि0–19.01.16 के क्रम में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजना In- situ upgradation of plain powerloom scheme अन्तर्गत, प्लेन विद्युतकरघा में अतिरिक्त साजसज्जा (additional attachment) लगाकर, अर्धस्वचालित (Semi-Automatic) विद्युतकरघा में परिवर्तित करने पर प्रति विद्युतकरघा पर होने वाला व्यय का 40% अथवा 12000/– जो कम होगा, उतनी राशि राज्य सरकार के अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में 100 प्लेन विद्युतकरघा में अतिरिक्त साजसज्जा (additional attachment) लगाकर अर्धस्वचालित (Semi-Automatic) विद्युतकरघा में परिवर्तित करने हेतु रू0 10.00 (दस लाख) अनुमानित व्यय पर स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. इस योजनान्तर्गत वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा In-situ upgradation of plain powerloom scheme के अन्तर्गत अतिरिक्त साजसज्जा (additional attachment) लगाकर अर्धस्वचालित (Semi-Automatic) विद्युतकरघा में परिवर्तित करने पर होने वाले अनुमानित व्यय का 50% अधिकतम 15000/– प्रति विद्युतकरघा अनुदान राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उक्त अतिरिक्त साजसज्जा (additional attachment) पर होने वाले व्यय का शेष 50% राशि अर्थात् अधिकतम 15000/– प्रति विद्युतकरघा बुनकरों को वहन करना पड़ता है।

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा अपनी ओर से 40% राशि अथवा 12000/– प्रति लूम जो कम होगा, अनुदान राशि उपलब्ध कराई जायगी।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में गया जिला के 100 प्लेन विद्युतकरघा को Upgradation करने का लक्ष्य है।

3. इस योजना के क्रियान्वयन के निमित्त निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

4. प्रस्तावित राज्यांश राशि 10.00 लाख का व्यय मुख्य शीर्ष 2851 ग्रामी तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 108, बिजली करघा उद्योग, माँग सं0–23, उप शीर्ष 0101, विद्युतकरघा योजना विपत्र कोड पी–2851001080101 राज्य योजना स्कीम कोड–IND-5445 के विषय शीर्ष 3301 सब्सिडी मद से विकलित होगा, जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रयाप्त बजट उपबंध उपलब्ध है।

5. स्वीकृत राशि 10.00 लाख की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र) हस्तकरघा सघन विकास योजना, गया होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि की निका[illegible] के लिये योजना कोड तथा विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेगें।

6. इस योजना के क्रियान्वयन के निमित निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश तथा संशोधित आदेश के अनुसार, केन्द्रीय अंशदान लाभुकों के बैंक खाता में जमा होने के पश्चात अभिलम्ब राज्य अंशदान की राशि लाभुकों के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
7. निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना योजना का अनुश्रवण करेंगे।
8. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 दिनांक–20.05.2014 द्वारा दिशा–निर्देश के अनुरूप की जायेगी।

विश्वासभाजन

20/2/2017
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– जिला कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/2017
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), हस्तकरघा सघन विकास योजना, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/2017
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 660 / पटना, दिनांक– 22-02-17

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/बजट शाखा उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ बजट शाखा उद्योग निदेशालय/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/प्रमण्डलीय आयुक्त, गया/आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग/वस्त्र आयुक्त, निष्ठा भवन, 48, न्यू मैरिन लाईंस, मुम्बई–400020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/2017
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग
बिहार, पटना।